भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2506

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

नदी थाले की गाद निकालना

2506. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी में बाढ़ के नियन्त्रण हेतु नदी की गाद निकालने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान गंगा की बाढ़ के कारण मुर्शिदाबाद में कितने परिवारों को जान-माल का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार के पास बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) गाद का कटाव और जमाव कछारी नदियों में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदियां अपनी क्षेत्रीय परिस्थितियों अर्थात नदी में बहिस्रोव, नदी ढलान, आकृति विज्ञान, गाद की प्रकृति इत्यादि के अनुसार गाद के भार को ढोती, उठाती और छोड़ती है। नदियों से गाद हटाने सहित बाढ़ प्रबंधन के उपाए राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करके और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देती है। गंगा नदी की गाद को हटाने से संबंधित मामले पर विभिन्न समितियों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। विस्तृत निष्कर्ष ये हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों की गाद को हटाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य समाधान नहीं है। इसकी अपेक्षा समान रूप से गाद को हटाने ः नदी पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी अपेक्षा वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित चुनिन्दा निष्कर्षण की सिफारिश की गइे है।

(ग) जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचित किया गया है, जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में गंगा नदी में बाढ़ की वजह से 730 हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ था।

(घ) और (ड.) राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार अपनी निर्धारित स्टेट डिजास्टर रिस्पौंस फण्ड (एसजीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राहत उपाय करती है। निर्धारित प्रिक्रया के अनुसार नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फण्ड (एनजीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ से किसानों को राहत सहायता प्रदान करना और उसका वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

*****